उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–4
संख्या– 618 /XX–4/2020–1(6)/2013
देहरादून : दिनांक ०३ सितम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड (बन्दियों के दण्डादेश का निलम्बन) नियमावली, 2017 समय–समय पर यथासंशोधित में ऐसे सिद्धदोष बंदी, जो उत्तराखण्ड के न्यायालयों द्वारा ऐसे अपराध के लिए दण्डित है, जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो, चाहे वे उत्तराखण्ड राज्य के भीतर या राज्य के बाहर की न्यायिक अभिरक्षा के अधीन राज्य के बाहर परिरूद्ध हो, हेतु दण्डादेश का निलम्बन की व्यवस्था की गयी है।

2– उक्त नियमावली में किसी बंदी के माता, पिता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई या बहन की बीमारी/मृत्यु/पुत्र, पुत्री, भाई या बहन का विवाह/कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने पर कृषि की बुआई या कटाई/आपातकालीन परिस्थितियों में, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुष्टि करने पर मकान मरम्मत/असाध्य रोगों जैसे कैन्सर, एड्स के उपचार एवं लीवर, किडनी तथा हृदय आदि शारीरिक अंगो के प्रत्यारोपण हेतु विभिन्न अवधि के लिए मण्डलायुक्त एवं शासन द्वारा दण्डादेश का निलम्बन स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– उक्त नियमावली के नियम–7(4) में यह व्यवस्था है कि अपरिहार्य परिस्थितियों यथा किसी बंदी के माता–पिता, पति–पत्नी, पुत्र–पुत्री, भाई–बहन की मृत्यु या प्राकृतिक आपदाओं में किसी बंदी के दण्डादेश निलम्बन 72 घण्टे के लिये जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

4– उक्त के सम्बन्ध में रिट याचिका (कि0) संख्या–13/2020 रोशन नौटियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–07–2020 एवं दिनांक 28–08–2020 के अनुपालन में प्रकरण की महत्ता, आकस्मिकता एवं मानवीय दृष्टिकोण के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त् निर्णय लिया गया है कि किसी सिद्धदोष बंदी के माता, पिता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई या बहन की मृत्यु के प्रकरणों में 24 घण्टे तक (यात्रा अवधि को छोड़कर) दण्डादेश का निलम्बन सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक/कारागार प्रभारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा, परन्तु सम्बन्धित बंदी उक्त अवधि में पुलिस सुरक्षा में ही रह कर वापस लाया जायेगा। इसी प्रकार सम्बन्धित सिद्धदोष बंदी के पारिवारिक सदस्य की मृत्यु के उपरान्त होने वाली कियाओं/संस्कारो यथा श्राद्ध, तेरहवीं आदि में सम्मिलित होने के लिए 15 दिवस का दण्डादेश का निलम्बन महानिरीक्षक कारागार द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। इस प्रकार स्वीकृत दण्डादेश का निलम्बन (पैरोल) में गन्तव्य स्थान पर पहुंचने एवं वहां से वापस लौटने पर लगने वाला समय सम्मिलित नहीं होगा।

5– उक्त के अतिरिक्त बंदी अथवा उसके सम्बन्धी द्वारा मृत्यु के प्रकरण में 24 घण्टे के पैरोल हेतु सम्बन्धित कारागार के कारागार अधीक्षक/प्रभारी कारागार अधीक्षक तथा मृत्यु के उपरान्त किये जाने वाले संस्कारों हेतु 15 दिवस के पैरोल हेतु सम्बन्धित कारागार अधीक्षक/प्रभारी कारागार के माध्यम से महानिरीक्षक कारागार को पत्राचार अथवा ईमेल के माध्यम से अनुरोध किया जा सकेगा। यदि उक्त के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की समस्या

सम्बन्धित कारागार के अधीक्षक अथवा महानिरीक्षक कारागार के सम्मुख आने पर वह तत्काल शासन में अपर सचिव/नोडल अधिकारी, गृह एवं कारागार विभाग, उत्तराखण्ड शासन से सम्पर्क/समन्वय स्थापित करते हुये प्रकरण का शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6— उक्त स्वीकृत किये जाने वाले दण्डादेश का निलम्बन (पैरोल) मामलों का विवरण शासनादेश संख्या—487/XX—4/2019—5(28)/2019, दिनांक 19—08—2020 में निर्गत दिशा—निर्देशों का अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

उत्तराखण्ड (बन्दियों के दण्डादेश का निलम्बन) नियमावली, 2017 सपठित उत्तराखण्ड (बन्दियों के दण्डादेश का निलम्बन) (संशोधन) नियमावली, 2019 में उक्त संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रक्रिया शीघ्र ही कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(नितेश कुमार झा)
सचिव।

संख्या— 618/XX—4/2020—1(6)/2013, तद्दिनांक

प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2— सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3— पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4— महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5— अपर सचिव/नोडल अधिकारी, गृह एवं कारागार विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6— मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ परिक्षेत्र, उत्तराखण्ड।
7— पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल/कुमांऊ परिक्षेत्र, उत्तराखण्ड।
8— समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तराखण्ड।
9— समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
10— समस्त वरिष्ठ कारागार अधीक्षक/कारागार अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
11— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।